UPBJ010038822022

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

सेशन्स केस संख्या 514/2022

सरकार बनाम सोमेश आदि

आरोप

मै अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्तगण **सोमेश, ज्ञानवती, भगवंत सिहॅ व हरिराज सिहॅ** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूॅ–

1– यह कि दिनांक 18.04.2019 को समय 06:00 बजे शाम वहद जंगल ग्राम अस्करीपुर थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर में आप **ज्ञानवती, भगवंत सिहॅ व हरिराज सिहॅ** ने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा रमेश सिहॅ को लात–घूसो से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 323/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप **सोमेश** ने वादी मुकदमा रमेश सिहॅ को धारदार हथियार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **324** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप **सोमेश, ज्ञानवती, भगवंत सिहॅ व हरिराज सिहॅ** ने वादी मुकदमा रमेश सिहॅ को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आप **सोमेश, ज्ञानवती, भगवंत सिहॅ व हरिराज सिहॅ** ने वादी मुकदमा रमेश सिहॅ को अपमानित करने के आशय से लात–घूसो से मारपीट कर गन्दी–2 गालियॉ यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3 (1) द** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2023.07.19 16:53:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप **सोमेश, ज्ञानवती, भगवंत सिहॅ व हरिराज सिहॅ** ने वादी मुकदमा रमेश सिहॅ को लात–घूसो से मारपीट कर गन्दी–2 गालियॉ यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3 (1) ध** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 19–07–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 19–07–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

UPBJ010038822022

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

सेशन्स केस संख्या 514/2022

सरकार बनाम सोमेश आदि

19–07–2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्तगण **सोमेश, ज्ञानवती, भगवंत सिहॅ व हरिराज सिहॅ** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक भी उपस्थित है।

पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण ज्ञानवती, भगवंत सिहॅ व हरिराज सिहॅ के विरूद्व धारा 323/34, 504 भा0द0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट व सोमेश के विरूद्व धारा 324, 504 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनॉक 19–07–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण ज्ञानवती, भगवंत सिहॅ व हरिराज सिहॅ के विरूद्व धारा 323/34, 504 भा0द0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट व सोमेश के विरूद्व धारा 324, 504 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस. टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक –08–2023 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनॉक 19–07–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।